

શ્રી કોલકાતા યુનિવર્સિટી

જી. ઈ. બોયલ

સુ. સુ. ૧૧૧

સી. સુ. ૧૧૧

સુ. ૦૩/૦૨/૨૦૦૦.

શ્રી

શ્રી. કે. સિંહ

અધ્યાપક

આર. ટી. આર. સુ. ૧૧૧

કોલકાતા યુનિવર્સિટી

સુ. ૦૩/૦૨/૨૦૦૦

શ્રી. કે. સિંહ

અધ્યાપક

આર. ટી. આર. સુ. ૧૧૧

કોલકાતા યુનિવર્સિટી

સુ. ૦૩/૦૨/૨૦૦૦

શ્રી. કે. સિંહ

અધ્યાપક

આર. ટી. આર. સુ. ૧૧૧

કોલકાતા યુનિવર્સિટી

સુ. ૦૩/૦૨/૨૦૦૦

શ્રી. કે. સિંહ

અધ્યાપક

આર. ટી. આર. સુ. ૧૧૧

કોલકાતા યુનિવર્સિટી

સુ. ૦૩/૦૨/૨૦૦૦

શ્રી. કે. સિંહ

અધ્યાપક

આર. ટી. આર. સુ. ૧૧૧

કોલકાતા યુનિવર્સિટી

સુ. ૦૩/૦૨/૨૦૦૦

શ્રી. કે. સિંહ

અધ્યાપક

प.क्षे.-II/जन सूचना/ 2829

दिनांक : 14.11.2019

सेवा में,

Shri. Kesarbhai Appubhai patel,
vill and post Thibuchati,
Tal.Vadgaon Dist Banaskantha
Mob: 9925114830


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक : 16.10.2019, इस कार्यालय में दिनांक 21.10.2019 को के.लो.सू.से मार्फत प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में पर मांगी गयी जानकारी साथ संलग्न कर प्रेषित है। अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है- :

श्री डी.के.सिंह, अपीलीय अधिकारी,
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
प्लॉट न.54, समा सावली रोड,
वडोदरा - 390 008 (गुजरात).

धन्यवाद।


4/11/19
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र - II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि।

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.-II, वडोदरा - सादर सूचनाथ
2. उप महा प्रबंधक, (सतर्कता)प-क्षे. II वडोदरा,

सेवा में,

केशरभाई अभुभाई पटेल,
गाँव - टिम्बाचुडी, तालुका - वडगाम,
जिला - बनासकांठा

विषय :- 765 के.वी. बनासकांठा-चित्तौड़गढ़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में मुआवजे के भुगतान के बारे में।

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में, 21/02/2019 को आपके द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुसार आप को ज्ञात हो कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा 765 के.वी. बनासकांठा-चित्तौड़गढ़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान, विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार पेड़ / फसल की वास्तविक हानि का भुगतान कार्यकारी मजिस्ट्रेट / राजस्व विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार किया गया है।

आपके रेकॉर्ड सर्वे 158 (पुराना 276) ग्राम - टिम्बाचुडी में टॉवर नं. 44A / 2 की दो नींव हैं। जिसमें आपको फाउंडेशन कार्य के दौरान 45000/- रु. और टावर इरेक्शन कार्य के दौरान 50400/- रु. का भुगतान किया गया है। चूंकि तार खींचने के समय आपकी भूमि में कोई फसल नहीं लगाई गई थी, इसलिए आपको तार खींचते समय फसल के नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

इसके अलावा, गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा जारी नियम के अनुसार बिजली लाइन के निर्माण के दौरान जमीन मालिकों की भूमि अधिग्रहण किए बिना टावर के चारों पायों के बीच की भूमि के मुआवजे के निर्धारण के लिए प्रचलित जंत्री मूल्य का 85% और तार के नीचे प्रभावित होने वाली भूमि के मुआवजे के निर्धारण के लिए प्रचलित जंत्री मूल्य का 7.5% का भुगतान करने का प्रावधान है। गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार, जंत्री दरें वर्ष 2011 के अनुसार थीं। इसलिए आपकी भूमि के वर्तमान जंत्री दर को निर्धारित करने के लिए, कलेक्टर बनासकांठा से निवेदन किया गया था। उपजिलाधिकारी, पालनपुर ने भूमि वितरण दर तय कर किसानों को भूमि के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश की है। यही कारण है कि आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूचित किया गया है। यदि आप आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं तो जमीन मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।

जमीन के मुआवजे के लिए निम्नलिखित के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे;

- 1) जमीन के 7/12 और 8ए अनुलेख की हालिया प्रतिलेख की 2-2 प्रतियां
- 2) यदि जमींदारों में से किसी की मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और पेढ़िनामा की 2-2 प्रतियां
- 3) एक से अधिक खाताधारक/ संयुक्त खाताधारक और मृत्यु के प्रकरण में सभी खाताधारकों एवं वारिसों को 300/- रु. के स्टम्प पेपर पर किसी एक व्यक्ति के खाते में मुआवजा देने हेतु सहमति पत्र (एक मूल प्रति एवं एक सत्यापित प्रति)

यह आप की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आभार सहित,

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से



डी. के. शर्मा

उप महाप्रबंधक (बनासकांठा)